महत्वपूर्ण अनुस्मरक/समयबद्ध

संख्या-03/2020-सा-3-12/दस-2020-840(01)/2019

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 09 जनवरी, 2020

विषय:- राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों /स्वायत्तशासी संस्थाओं/ प्राधिकरणों आदि के कर्मचारियों की भविष्य निधियों का प्रबन्धन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-सा-3/दस-899-2019/840 (1)/2019, दिनांक 05-12-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रशासकीय विभागों के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों आदि के स्तर पर गठित सी0पी0एफ0/ ई0पी0एफ0 ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों के सी0पी0एफ0/ ई0पी0एफ0 की धनराशियों के प्रबन्धन एवं निवेश के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त आदेश के प्रस्तर-4 (5) में विभागों से यह अपेक्षा की गयी थी कि ''जिन मामलों में निवेशित धनराशि अथवा ब्याज की वापसी ओवरड्यू हो गयी है अथवा जिन मामलों में निजी संस्थाओं में निवेश किये गये हैं, उनके संबंध में यह जॉच भी करा ली जाये कि निवेश निर्धारित गाइडलाइन्स व नियमों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। अनियमित निवेश करने वाले अधिकारियों/ व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये तथा कृतकार्यवाही से एक माह के अन्दर अवगत कराया जाये।,''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना/विवरण अभी तक अप्राप्त है। अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त वांछित कृत कार्यवाही की सूचना/विवरण वित्त विभाग को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
भुवनेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-03/2020-सा-3-12(1)/दस-2020, तददिनंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, सार्वजनकि उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।